

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 5416 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

दिनांक: 20.10.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, गृह(गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2127/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03.10.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा तथा कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जायेगा कि संक्रमण श्रृंखला के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
- (2) एक से अधिक घरों में संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर, जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल-बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा और तदनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
  - (i) यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाये तो ऐसा तल सील कर दिया जायेगा।
  - (ii) यदि एक से तलों पर सक्रिय केस पाये जाये तो संबंधित तल ही सील कर दिया जायेगा।
  - (iii) यदि एक सोसाईटी में एक से अधिक टॉवर्स में सक्रिय केस पाये जाते हैं तो ऐसी सोसाईटी में संबंधित टॉवर्स तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थाना तथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैकवेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुये तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा, जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
  - (iv) ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सेनेटाईज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
  - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
  - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल-बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा तथा तदनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 20.10.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 130 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 38-एच0 ब्लॉक

यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, टांडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अमर माया कालोनी चॉदपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0लक्ष्मी नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0रामा एनक्लेव मन्दिर के पास नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0कोठियात आजाद पब्लिक स्कूल के सामने शिवचरन इं0का0 वाली गली को0नगर बुलन्दशहर, मौ0प्रेमनगर राजदराबार होटल के सामने, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0राधानगर निकट भाटी आटा चक्की नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम(एच0एफ0एस/एस0एफ0एच0) नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिव टैण्ट वाली गली नं0-1 धमैडा मोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, माता वाली गली चॉदपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गॉव चॉदपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, खादू श्याम मन्दिर के बराबर वाली गली मोती बांग सिविल लाईन नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 बाबूपुरा बिजली घर के सामने चॉमड वाली गली देवीपुरा प्रथम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अपार्टमेंट गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, चौधरी शिकारपुर कम्पाउण्ड, डी0एम0रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गेरुत हॉस्पिटल के सामने वाली बिडिंग, अनूपशहर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ईश्वर दयाल वाली गली मौ0राधानगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 भूड डाकरखाने वाली गली भाना की चक्की के पास नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, चन्द्रकुटी, डी0एम0 रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नूर मस्जिद के बराबर वाली गली, मौ0फैसलाबाद नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शर्मा टावर हॉउस के पास अनूपशहर अड्डा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ए0 ब्लाक यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, भवन मन्दिर के पीछे देवीपुर द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिव मन्दिर के आगे वाली गली, मौ0भगवानपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, वाटर वर्क्स के सामने मौ0साठा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला बिहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, चक्की वाली गली, मौ0ईटा रोडी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिव अवश्य कालोनी, निकट न्यू राजदराबार मैरिज होम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सूर्य नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नाले के पास मौ0देवीपुरा प्रथम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 हरी एनक्लेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0कोठियात

आजाद कालोनी नगर पालिका के सामने नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०चारथार निकट यश फार्म हाउस, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०शान्तिनगर भूड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, श्री नाथ मारबल के बराबर वाली गली, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में २२ हॉटस्पॉट-एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, चमन बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ०छासियावाडा निकट खुर्जा गेट चौकी नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, मौ०शचौदत्त नगरीय क्षेत्र गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, नई बस्ती ग्राम दौलतपुर कंला वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, मौ०पंचवटी वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम गिनौरा नगली वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील स्याना, ग्राम त्यौर बुजुर्ग वि०ख० पहासू व तहसील शिकारपुर, मौ०स्याना सिकन्द्रा नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर, मौ०अहीरपाडा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ० सराय नसरुल्ला नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम धराऊ वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम रंगपुर वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम अगराई वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बरवाला वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, ग्राम महिया वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम सूरतपुर खुर्द वि०ख० अरनिया तहसील खुर्जा, नन्दलाल द्वार गली नं०-५ मौ० करम धरम नगरीय क्षेत्र नरौरा तहसील डिबाई, ग्राम सिरौरा वि०ख० व तहसील अनूपशहर, वार्ड नं० ८ कब्रिस्थान के पास मौ० न्यू पाठक कस्बा ज०बाद तहसील अनूपशहर, ग्राम जानीपुर कंला वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम नगला तुलसी वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम दौंगवा वि०ख० व तहसील डिबाई, कोडा समसावाद वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील स्याना, बहलिमपुरा वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अटेरना वि०ख० अरनिया तहसील खुर्जा, मौ० नई बस्ती नगरीय क्षेत्र खुर्जा, बरौली वासदेवपुर वि०ख० व तहसील स्याना, मौ०कोट कंला नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, पी०एन०बी० के पास मौ० पाठक नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद, ग्राम दीवला खेडा वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम सबदलपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, नूरपुर की मढैया वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बैरा फिरोजपुर वि०ख० व तहसील स्याना, मौ०जाटवान कस्बा व वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम कमालपुर वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, मौ०हीरा कालोनी कस्बा सिकन्द्राबाद, मौ०खत्रीबाडा कस्बा सिकन्द्राबाद, मौ०कालापौर कस्बा सिकन्द्राबाद, ग्राम नत्थूगढी वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला करन वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मूढी बकापुर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, डा०मकसूद के मकान के सामने स्याना रोड औरंगाबाद नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर, वैशाली कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, कब्रिस्थान के पास मौ०लौधान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, सावन कृपाल अस्पताल के पास ग्राम चचरई रोड कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, देवन्द्र मास्टर के मकान के पास मौ०बाजार पुख्ता कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम चिरौरी वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम दौरऊ वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम चटहेरा वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, ग्राम धतुरी वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०मुफतीबाडा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, लालता मन्दिर के पास मौ०आहार गेट कस्बा व तहसील अनूपशहर, ग्राम दशहरा वि०ख० अरनिया तहसील खुर्जा, ग्राम सारंगपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, जोगी वाली गली नवलपुरा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ०कायस्थबाडा नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, चाँदपुर चुंगी कस्बा व तहसील स्याना, ग्राम सरावा वि०ख० व तहसील शिकारपुर, अमैठा वि०ख० व तहसील अनूपशहर, पगौना वि०ख० व तहसील अनूपशहर, बियावानी वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम औरंगाबाद अहीर वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, मौ०अजीजाबाद नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर, माधोगढ वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम चचरई वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम मलकपुर वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०खीरखानी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, बृंदावन बिहार जक्शन रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम महमदपुर वि०ख० व तहसील शिकारपुर, आजाद नगर सलेमपुर रोड कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, टीचर्स कालोनी कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पचौता वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, लेवर कालोनी ग्राम ऊँचा गाँव वि०ख० अरनिया तहसील खुर्जा, ग्राम ढलना वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, ग्राम चाँदपुर पूठी वि०ख० व तहसील स्याना, मौ०पीरखान, एक मीनार मस्जिद के पास नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जौलीगढ वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, सरकारी कालोनी तेल मिल औद्योगिक क्षेत्र नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, कुवरपाल पुत्र कालाराम के घर के अगल बगल जाटव मौ० वि०ख०ऊँचागाँव तहसील स्याना, ग्राम घुन्ना जाटान वि०ख० व तहसील खुर्जा, निकट बिजलीघर के पास जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम भटौला वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम रानऊ तहसील शिकारपुर, जाटव मोहल्ला अमरपुर वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, ग्राम ककरई वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ०छपैटी कस्बा व तहसील अनूपशहर, ग्राम खुशालगढ वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम ताजपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जिरौटी वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम डूंगरा जाट वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम बुटैना वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 20.10.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-4154 है, 1646 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में है। जनपद में 68 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेगें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।  
संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-अक्टूबर २०, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।



प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने पत्रांक 2105/2020/सीएक्स-3 दिनांक 01-10-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 30 अगस्त 2020 में यथासंशोधन करते हुए दिशा-निर्देश (सी-ओपेन) निर्गत किये गये है।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पाँच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संक्रमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित क्रम सं0 128 से 130 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 की सायं 08:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क्र0सं0	कन्टेनमेंट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	एच ब्लॉक, यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को0देहात बु0शहर
2	मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	15-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
3	एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई	16-08-2020	नरौरा
4	टांडा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	20-08-2020	को0देहात बु0शहर
5	आवास विकास-2, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	28-08-2020	को0देहात बु0शहर
6	चमन बिहार कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	08-09-2020	खुर्जा नगर
7	मौ0 छसियावाड़ा, निकट खुर्जा गेट चौकी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	11-09-2020	सिकन्द्राबाद
8	मौ0 श्यौदत्त, नगरीय क्षेत्र गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	18-09-2020	गुलावठी
9	नई बस्ती, ग्राम दौलतपुर कलौं, वि0ख0 ऊँचागाँव तहसील स्याना	24-09-2020	नरसेना
10	अमर माया कालोनी चाँदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	25-09-2020	को0नगर बुलन्दशहर
11	मौ0 पंचवटी, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	26-09-2020	खुर्जा नगर
12	ग्राम गिनौरा नगली, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील स्याना	28-09-2020	खानपुर
13	ग्राम तयौर बुजुर्ग, वि0ख0 पहासू व तहसील शिकारपुर	30-09-2020	छतारी
14	मौ0 स्याना सिकन्द्रा, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर	01-10-2020	औरंगाबाद
15	मौ0 लक्ष्मी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	01-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
16	मौ0 रामा एन्कलेव, मन्दिर के पास, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	01-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
17	मौ0 अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	01-10-2020	खुर्जा नगर
18	मौ0 सराय नसरुल्ला, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	01-10-2020	खुर्जा नगर
19	ग्राम धरौंऊ, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	02-10-2020	खुर्जा देहात
20	ग्राम रंगपुर, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	02-10-2020	सलैमपुर
21	मौ0 कोटियात, आजाद पब्लिक स्कूल के सामने, शिवचरण इण्टर कॉलेज वाली गली, को0नगर बुलन्दशहर ✓	03-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
22	ग्राम अगराई, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	03-10-2020	सिकन्द्राबाद
23	ग्राम बरवाला, वि0ख0 ऊँचागाँव, तहसील स्याना	05-10-2020	नरसेना
24	मौ0 प्रेम नगर, राजदरबार होटल के सामने, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	05-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
25	मौ0 राधा नगर, निकट भाटी आटा चक्की, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	05-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
26	आवास विकास प्रथम (एचएफएस/एसएफएस), नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	05-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
27	ग्राम महेपा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	05-10-2020	सिकन्द्राबाद
28	ग्राम सूरतपुर खुर्द, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा	05-10-2020	अर्निया
29	नन्दलाल द्वार, गली नं0-5, मौ0 करम-धरम, नगरीय क्षेत्र नरौरा तहसील डिबाई	06-10-2020	नरौरा
30	ग्राम सिरौरा, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	06-10-2020	अनूपशहर
31	वार्ड नं0-8 कब्रिस्तान के पास, मौ0 न्यू पाठक कस्बा ज0बाद तहसील अनूपशहर	06-10-2020	जहाँगीराबाद
32	शिवा टैण्ट वाली गली नं0-1, धमैड़ा मोड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	06-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
33	ग्राम जानीपुर कलौं, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	06-10-2020	शिकारपुर



81	जोगी वाली गली नवलपुरा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	10-10-2020	खुर्जा नगर
82	भवन मन्दिर के पीछे, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	11-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
83	शिव मन्दिर के आगे वाली गली मौ0 भगवानपुरा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	11-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
84	मौ0 कायस्थवाड़ा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	11-10-2020	सिकन्द्राबाद
85	चौदपुर चुँगी, कस्बा व तहसील स्याना	12-10-2020	स्याना
86	ग्राम सरावा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	12-10-2020	शिकारपुर
87	ग्राम अमेठा, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	12-10-2020	अनूपशहर
88	ग्राम पगौना, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	12-10-2020	अनूपशहर
89	पीर बियावनी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	12-10-2020	सिकन्द्राबाद
90	वाटर वर्क्स के सामने मौ0 साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	12-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
91	सुशीला बिहार प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	12-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
92	ग्राम औरंगाबाद अहीर, वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	12-10-2020	गुलावठी
93	मौ0 अजीजाबाद, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर	12-10-2020	औरंगाबाद
94	ग्राम माधोगढ़, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	13-10-2020	खानपुर
95	ग्राम चचरई, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	13-10-2020	जहाँगीराबाद
96	ग्राम मलकपुर, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	13-10-2020	अनूपशहर
97	मौ0 खीरखानी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	13-10-2020	खुर्जा नगर
98	वृन्दावन विहार, जंक्शन रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	13-10-2020	खुर्जा नगर
99	चक्की वाली गली, मौ0 ईटा रोड़ी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	13-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
100	शिव अवश्य कालोनी निकट न्यू राजदरबार मैरिज होम नगरीय क्षेत्र बु0शहर ✓	13-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
101	ग्राम महमदपुर, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	14-10-2020	शिकारपुर
102	आजाद नगर, सलेमपुर रोड, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	14-10-2020	सिकन्द्राबाद
103	टीचर्स कालोनी, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	14-10-2020	सिकन्द्राबाद
104	ग्राम पचौता, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	14-10-2020	को0देहात बु0शहर
105	सूर्य नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	14-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
106	लेबर कालोनी, ग्राम ऊँचागाँव, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा	14-10-2020	अर्निया
107	ग्राम ढलना, वि0ख0 ऊँचागाँव तहसील स्याना	15-10-2020	नरसेना
108	ग्राम चौदपुर पूठी, वि0ख0 व तहसील स्याना	15-10-2020	स्याना
109	मौ0 पीरखान, एक मीनार मस्जिद के पास नगरीय क्षेत्र गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	15-10-2020	गुलावठी
110	नाले के पास, मौ0 देवीपुरा-प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	15-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
111	मौ0 हरी एन्क्लेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	16-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
112	मौ0 कोटियात आजाद कालोनी, नगर पालिका के सामने, नगरीय क्षेत्र बु0शहर ✓	16-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
113	मौ0 चारथार, निकट यशफार्म हाउस, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	16-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
114	ग्राम जोलीगढ़, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर	16-10-2020	अगौता
115	सरकारी कालोनी तेल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	16-10-2020	सिकन्द्राबाद
116	कुंवर पाल पुत्र कालाराम के घर के अगल-बगल जाटव मौहल्ला विकास खण्ड उंचागांव तहसील स्याना	17-10-2020	थाना नरसेना
117	ग्राम भुन्ना जाटान विकास खण्ड एवं तहसील खुर्जा	17-10-2020	जहाँगीरपुर
118	निकट बिजली धर के पास जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद	17-10-2020	सिकन्द्राबाद
119	ग्राम भटौला तहसील शिकारपुर	17-10-2020	शिकारपुर
120	ग्राम रानऊ तहसील शिकारपुर	17-10-2020	शिकारपुर
121	जाटव मौहल्ला अमरपुर, वि0ख0 ऊँचागाँव, तहसील स्याना	18-10-2020	खानपुर
122	ग्राम ककरई, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	18-10-2020	जहाँगीराबाद
123	मौ0 छपेटी, कस्बा व तहसील अनूपशहर	18-10-2020	अनूपशहर
124	ग्राम खुशहालगढ़, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	18-10-2020	अनूपशहर
125	मौ0 शान्ति नगर भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	18-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
126	ग्राम ताजपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	18-10-2020	को0देहात बुलन्दशहर
127	ग्राम जिरौंठी, वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	18-10-2020	गुलावठी
128	ग्राम झूंगरा जाट, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	19-10-2020	जहाँगीराबाद
129	श्री नाथ मारवल के बराबर वाली गली, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	19-10-2020	को0नगर बुलन्दशहर
130	ग्राम बुटैना, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	19-10-2020	सिकन्द्राबाद

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03-10-2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा तथा कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जायेगा कि संक्रमण शृंखला (Chain of Transmission) को तोड़ा जा सके।

- शहरी क्षेत्र:-**
- (1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
  - (2) एक से अधिक घरों में संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर, जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल-बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा और तनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।
  - (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-
    - (i) यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाये तो ऐसा तल सील कर या जायेगा।
    - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाये जाये तो सम्बन्धित तल ही सील कर दिया जायेगा।
    - (iii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
  - (4) ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सेनेटाईज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।
    - (i) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-
      - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
      - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

**ग्रामीण क्षेत्र:-**

- (1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।

- (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल-बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा तथा तनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।

**माइक्रो /कलस्टर कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-**

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
- 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
- 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें कलस्टर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सैनिटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किये जायेंगे।
- 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मो0नं0-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरुक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।  
उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट,  
बुलन्दशहर।

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2020

पृष्ठांकन संख्या: 686 / एस0टी0-डी0एम0/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सं0 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 सितम्बर 2020 एवं मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के संदर्भित पत्र के प्रस्तर 3(111) के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
- 7- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 8- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 10- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 11- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 12- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 13- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाईजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 14- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चस्पा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 15- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 16- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 17- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 18- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,  
बुलन्दशहर।